न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 01 /2017 प्रार्थना पत्र   दिनांक:– 07.04.2022

अनवान्

श्री मति प्रेमबाई पत्नी देवीलाल डांगी नि. सरदार खां जी का खेड़ा

प्रार्थीया

|| बनाम ||

1.श्री मिठुलाल पिता गोदु कण्डारा नि. बड़ीसादडी

2.श्री भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

विपक्षीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,</u>

उपस्थित– लक्ष्मण सिह झाला वकील प्रार्थीगण

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बडीसादड़ी पटवारी हल्का बडीसादड़ी तहसील बडीसादड़ी में स्थित है जिसके आराजी नम्बर खाता संख्या 184 खसरा संख्या 2134 रकबा 1.33 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात संख्या 2134 पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता पंचायत समिति बड़ीसादड़ी कार्यालय के पास नीमच जाने वाली रोड से आ.न. 2137 में होकर जिस पर वर्तमान में कालेज भवन में होकर विपक्षी न. 01 श्री मिठुलाल के खातेदारी में आ.न. 2136 के पचिश्म कोने पर होकर प्रार्थिया की आराजी तक जाता है।वर्तमान में भी उक्त रास्ता मौके पर स्थित है जो कालेज भवन के कॉलेज कैम्पस में स्थित होकर नगरपालिका द्वारा उत्तर दक्षिण लगभग 100 मीटर लम्बा व [illegible] मी. चौड़ा छोड़ा हुआ है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थिया जब से आराजी क्रय की है तब से अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आ जा रही है उक्त आराजी पर आने जाने का और कोई रास्ता मौके पर मोजुद नही है। प्रार्थिया मोजा बड़ीसादडी की आराजी नम्बर 2137 जिसपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.05.09 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

वर्तमान में कॉलेज भवन स्थित होकर कॉलेज भवन के पूर्वी पड़ोस में नगरपालिका द्वारा छोड़ा गया रास्ता जो की नीमच रोड़ से विपक्षी नम्बर 1 के खातेदारी आराजी नम्बर 2136 तक 30 फीट चौड़ा छोड़ा हुआ है। उक्त रास्ते को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी नम्बर 1 की आराजी में 30 फीट चौड़ा 28 मीटर लम्बा रास्ता अपनी आराजी तक छुड़वाना चाहती है। जिसके लिए प्रार्थिया न्यायालय द्वारा जो भी डीएलसी रेट तय की जायेगी जमा कराने को तैयार है। इसलिए प्रार्थिया को उसकी आराजी नम्बर 2134 में आने जाने हेतु विपक्षी नम्बर 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 2136 में 30 फीट चौड़ा एवं 28 मीटर लम्बा रास्ता पूर्ववत दिलाया जाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्षा ट्रेस में अंकित कराया जाना न्याय हित में आवश्यकता है। प्रार्थिया उक्त आराजीयात पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है व रिकार्ड में भी अन्य कोई रास्ता दर्ज नहीं है इस कारण प्रार्थिया अपनी आराजीयात पर आने जाने व फसल मवेशी आदि नहीं ले जा पा रहें है व उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 1 की आराजी नमबर 2136 में से नजरी नक्शें में डोट द्वारा दर्शायी गई है वहां से ही वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजी हेतु नया रास्ता रिकार्ड में अंकन करवाया जावे। अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी में से से रास्ता कायम कराया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सुचना पत्र से तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद हसन [illegible] ने वकालत नामा पेश किया। विपक्षी नम्बर 2 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। बाद कार्यवाही आदेशिका दिनांक 8.04. 2021 के अनुसार विपक्षी नम्बर 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बडीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट [illegible]

Signature Not Verified

पैरोकार सरकार व कमीशनर [illegible] बडीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि [illegible] हल्का बडीसादड़ी द्वारा दिनांक 07.01.2022 को मुर्तिब की गई को उचि[illegible] कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.05.09 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

87 दिनांक 14.02.2022 को अग्रेषित की गई । जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम बडीसादड़ी की आराजी नम्बर ग्राम बड़ीसादड़ी की आ.न. 2136 में चाहा गया रास्ता यानि लम्बाई 22 मीटर तथा चौड़ाई 04 मीटर बराबर 88 वर्गमीटर यानि 947 वर्ग फीट रास्ता बनता है। आ.न. 2134 प्रार्थीया के नाम पर दर्ज है पर पहूंच मार्ग प्रस्तावित आराजी नम्बर 2134 रास्ता दर्ज नहीं है प्रार्थीया की जोत पर वर्तमान में पहुंच मार्ग का अभाव है प्रस्तावित रास्ता आलौच्य आराजी पर निकटतम सुगम एवं सुविधाजनक मार्ग है । प्रार्थी की जोत पर पहुंच हेतु पूर्व से रिकोर्डेड रास्ता नहीं है प्रार्थी द्वारा स्थाई आवश्यकता हेतु नवीन रास्ते को कायम करवाना चाहता है । प्रार्थी की आराजी नमबर 2134 पर पहुचने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नमबर 2136 जो कि खातेदार मिठुलाल पिता गोटु कण्डारा नि. बड़ीसादडी के नाम दर्ज है चोडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 22 मीटर कुल 88 वर्गमीटर में प्रस्तावित किया जाना उचित है जिसे नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है । रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 अनुसार राशि 446905/— रूप्ये प्रति बीघा होती है ।

विपक्षीगण द्वारा भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाने एक पक्षीय कार्यवाही होने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई । लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 2134 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2136 में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है ।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है । राजस्व [illegible] विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20 [illegible] 2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14—1—2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.05.09 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 2134 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण, की आराजी नम्बर 2136 पडती है जिसके पुर्वी दक्षिणी मेड के साथ साथ चोडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 22 मीटर कुल 88 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना तहसीलदार वड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1.ग्राम बड़ीसादड़ी पटवार हल्का बड़ीसादड़ी की खसरा संख्या 2134 रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की आराजी नम्बर 2136 की पुर्वी दक्षिणी मेड के साथ साथ चोडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 22 मीटर कुल 88 वर्गमीटर भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।

2.रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्[illegible] भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 446905/–रूप्ये प्रति बीघा से [illegible] बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली [illegible] राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियम[illegible]र संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.05.09 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़

Scanned with CamScanner

3.रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें ।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.05.09 10:59:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner